

22.03.18

एम0जे0सी0 क्रमांक 08/2003

राज्य/आवेदक द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अनावेदक/अभियुक्त पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है। अभियुक्त को जारी वारंट वापस प्राप्त नहीं।

इसी समय राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि अभियुक्त द्वारा संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 1500/- रुपये केंद्रीय जेल ग्वालियर में जमा किये जा चुके हैं और अब कोई वसूली हेतु अर्थदण्ड की राशि बकाया नहीं है।

निवेदन पर विचार करते हुये प्रकरण के अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि इस न्यायालय के मूल सत्रवाद क्रमांक 76/2000 शासन विरुद्ध ब्रजेश बगैरह में अभियुक्त ब्रजेश को धारा 394 एवं 397 भा0दं0सं0 के अपराध में क्रमशः 7 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपये एवं एक माह का कठोर कारावास व 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के पश्चात् संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 1500/- रुपये अभियुक्त ब्रजेश द्वारा जमा नहीं किये जाने के कारण यह विविध फौजदारी प्रकरण अर्थदंड की वसूली हेतु पंजीबद्ध किया गया है।

उक्त प्रकरण के सजा वारंट पर जेलर वास्ते अधीक्षक केंद्रीय जेल ग्वालियर द्वारा इस आशय की स्पष्ट रिपोर्ट अंकित करते हुये कारावास की सजा पूर्ण होने पर सजा वारंट इस न्यायालय को वापस भेजा गया है कि अभियुक्त ब्रजेश द्वारा संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 1500 रुपये केंद्रीय जेल ग्वालियर में दिनांक 03.03.2005 को रसीद क्रमांक 92, बुक क्रमांक 34404 पर जमा करा दी गई है।

अतः प्रकरण में संपूर्ण अर्थदंड की राशि 1500 रुपये वसूल हो जाने से और कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से विचारोपरांत इस विविध प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड